कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्र.क./ 30/अ–82/2019–20/6302

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू–अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर– श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये **ग्राम लाडपुरा** तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में **कुल किता 17 कुल रकवा 2.870 हेक्टर** भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला –श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम **लाडपुरा** प.ह.न **07** रा.नि. वृत **01** में उक्त परियोजना के लिये **2.870** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है –

	सर्वे नं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितवद्व व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
1	2	3	4	5	6
1	15	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.007	रामनारायण पुत्र हीरालाल जानकी पार्वती,लीला,छुटटो,छोटा,मनभर,पुत्रिया हीरालाल जाति गुर्जर समान भाग नि0 लाडपुरा
2	16/1	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.063	रामनारायण पुत्र हीरालाल जानकी पार्वती,लीला,छुटटो,छोटा,मनभर,पुत्रिया हीरालाल जाति गुर्जर समान भाग नि0 लाडपुरा
3	18/2,19	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.144	रंजीता रामनिवास पुत्रगण ग्यारस्या रामी निम्मो पुत्रीयां ग्यारस्या हि 4/6 समान भाग मनीष जम्मू पुत्रगण नंदू कांती सुघा पुत्रीयां नंदू रामी वेवा नंदू हि 1/6 समान भाग पप्पू पुत्र सुखी रामा पुत्री सुखी हि 1/6 समान भाग जाति सहर नि0ग्राम लाडपुरा
4	21	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.247	रामकिशन पुत्र सुरजी जाति गुर्जर पता नि0 ग्राम लाडपुरा
5	22	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.272	भेरू पुत्र सुखचंद हिस्सा 1/8 भाग विजय लालराम पुत्रगण गन्नू कल्याणी बेबा गन्नू हिस्सा 1/8 समान भाग माखन पुत्र पप्पू भूरी पुत्री पप्पू हिस्सा

कलेक्टर
जिला, श्योपुर (म.प्र.)

					1/8 समान भाग जगदीश पुत्र मथुरा काडी पार्वती पुत्रीयां मथुरा हिस्सा 1/8 समानभाग जम्मो पुत्री भवरिया हिस्सा 1/8 बाबू पुत्र ग्यारसा परसादी पुत्री ग्यारसा हिस्सा 1/8 समानभाग जीवन रामचरण श्रीपाल पुत्र गण चतरू रांमसिया दासी पुत्रिया चतरू राजो बेबा चतरू हिस्सा 1/8 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम लाडपुरा
6	23/1	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.099	गोपाल सिह मोहन सिह सम्भू सिह कैलाश पुत्र गण अमरसिह लाड बाई रूकमणि सकुन्तला पुत्रिया अमरसिह जसोद बेबा अमर सिह जाति ठाकुर नि0 ग्राम लाडपुरा समान भाग
7	23/2	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.090	शिवराज सिह गिर्राज सिह शंकर सिह अशोक सिह कुलदीप सिह जयसिह पुत्रगण रामसिह हिस्सा समान भाग जाति ठाकुर नि0ग्राम लाडपुरा
8	29/1	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.096	गोपाल सिह मोहन सिह सम्भू सिह कैलाश पुत्र गण अमरसिह लाड बाई रूकमणि सकुन्तला पुत्रिया अमरसिह जसोद बेबा अमर सिह जाति ठाकुर नि0 ग्राम लाडपुरा समान भाग
9	30	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.267	बसन्ती चंदन सोना पुत्रिया बंशी जाति सहर नि0 ग्राम लाडपुरा समान भाग
10	31	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.105	बसन्ती चंदन सोना पुत्रिया बंशी जाति सहर नि0 ग्राम लाडपुरा समान भाग
11	32	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.147	बसन्ती चंदन सोना पुत्रिया बंशी जाति सहर नि0 ग्राम लाडपुरा समान भाग
12	33	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.297	रामलाल उर्फ पप्पू पुत्र भंवर लाल जाति खटीक पता निवासी ग्राम लाडपुरा
13	34/1	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.209	काडू पुत्र नाथ्या हि0 1/4 भाग कमलेश खेमराज जुगराज रामसनेही रामफूल पुत्रगण प्रहलाद सरूपी पुत्री प्रहलाद गजरी बेवा प्रहलाद हि0 1/4 समान भाग गंगाराम गिर्राज दुर्गालाल कल्लाराम पुत्रगण बजरंगा कंचन रामचंदी राबूदी प्रेमो पुत्रिया बजरंगा हि0 1/4 समान भाग राजाराम हरिगोवन्द रधुनंदन पुत्रगण हजारी पार्वती पुत्री हजारी हि0 1/4 समानभाग जाति सहर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

14	34/2मि.1	भूमिस्वामी		0.209	काडू पुत्र नाथ्या हि0 1/4 भाग कमलेश खेमराज जुगराज रामसनेही रामफूल पुत्रगण प्रहलाद सरूपी पुत्री प्रहलाद गजरी वेवा प्रहलाद हि0 1/4 समान भाग गंगाराम गिर्राज दुर्गालाल कल्लारा पुत्रगण बजरंगा कंचन रामचन्दी राबूदी प्रेमो पुत्रिया प्रेमो पुत्रिया बजरंगा हि0 1/4 समान भाग राजाराम हरिगोवन्द रधुनंदन पुत्रगण हजारी पार्वती पुत्री हजारी हि0 1/4 समानभाग जाति सहर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
15	60	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.137	गनपत पुत्र अमरली हरबाई दुलारी रूमाली पुत्रिया अमरली हि0 4/30समान भाग रामरूप राकेश पुत्र गण रधुवीर रामधोडा रसीदा बा0 रबीना ना0 पुत्रिया रधुवीर बाबूली बेबा रधुवीर हि0 1/30 समान भाग राधे पुत्र कमरिया हि0 1/6 उम्मेदी पुत्री कमरिया हि0 1/6 अर्जुन भवरिया मनफूल रघु पुत्रगण वाला हि0 1/2 समान भाग जाति सहर नि0 लाडपुरा
16	62	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.178	सुरेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह रामबाबू सिंह देशराज सिंह पुत्रगण मिश्री लाल मीराबाई पुत्री मिश्रीलाल जाति ठाकुर निवासी लाडपुरा
17	63	भूमिस्वामी	कृषि योग्य	0.303	सुरेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह रामबाबू सिंह देशराज सिंह पुत्रगण मिश्री लाल मीराबाई पुत्री मिश्रीलाल जाति ठाकुर निवासी लाडपुरा
		कुल		**2.870**	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू – अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थानः श्योपुर
तारीख 08.08.2019

(बसंत कुर्रे)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क.30/अ–82/भू–अर्जन/2019–20/6303 **श्योपुर दिनांक 08.08.2019**
प्रतिलिपि–

8. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
10. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
11. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
12. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
13. तहसीलदार तहसील श्योपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम मे मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
14. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत बेवसाईड पर अपलोड हेतु ।

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)